सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/459 दर्ज तिथिः–08.08.2024

वादी		प्रतिवादी
खींवणी पुत्री मानाराम वगैरह	बनाम	हरिकेन पुत्र भूराराम वगैरह
जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई		जरिये अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–04	
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908	
निर्णय तिथिः–07.03.2025	

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार हैः–
   - कि हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2022 को उक्त पत्रावली जवाबदावा प्रतिवादी में नियत की गई। लेकिन दिनांक 07.03.2022 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।
   - उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के बारे में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण ग्रामीण महिला होने के कारण तथा अपने घरेलू कार्यों की व्यस्तता के चलते बाहर जाने के कारण न्यायालय पर उपस्थित नहीं हो सके। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सुनवाई की तिथि को वादी व उनके अधिवक्ता को सुनवाई की तिथि की जानकारी मिलने के बाद भी न्यायालय पर उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में मूल वाद के खारिज होने की जानकारी होने की तिथि के बारे में कोई अभिकथन नहीं किये हैं। साथ ही उक्त संबंध में एक अपील अपीलीय न्यायालय से गुणवागुण पर निर्णित होकर खारिज हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:29 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के बारे में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी। साथ ही उक्त जानकारी

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दी गई। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय पर उपस्थिति के संबंध में कोई स्पष्ट अभिकथन नहीं किये हैं। अतः न्यायालय पर हाजिर नहीं होने के पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किये हैं।

4. इस संबंध में विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में किसी पक्षकार के विरूद्ध सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए की गई अग्रिम कार्यवाही से पीड़ित पक्षकार द्वारा न्यायालय द्वारा की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करते हुए सुनवाई का अधिकार देने हेतु अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रस्तुत कर न्यायालय को संतुष्ट करते हुए न्यायालय से की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है।

5. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी के घरेलू कार्यों में व्यस्त सुनवाई की तिथि के बारे में जानकारी नहीं होने को आधार बताते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के तहत दिनांक 07.04.2022 को मूल दावा संख्या 86/2019 के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत किया है।

6. विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् पक्षकार का अधिवक्ता ही प्रकरण में पैरवी करते हैं तथा स्वयं पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति को अपरिहार्य नहीं माना जाता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के पक्षकार अधिवक्ता के संवाद स्थापित कर अपने न्यायिक प्रकरण की जानकारी अपनी सुविधा अनुसार प्राप्त करते रहते हैं। न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही पर किसी सुनवाई की तिथि पर अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उक्त एकतरफा कार्यवाही की सूचना पक्षकार तक बहुत धीमी या किसी आकस्मिक तरीके से पहुंचती है। किसी न्यायालय में अधिवक्ता की तरफ से पैरवी में खामी का खामियाजा पक्षकार को नहीं देने बाबत् विधि का सुमान्य सिद्धांत है। अतः न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण विवाद के प्रश्न को बिना गुणवागुण कर निर्णित किये केवल प्रक्रियात्मक कमी की वजह से न्यायालय से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यहां स्थिति इस प्रकार है कि दावा अभी शुरूआती चरण में है। प्रतिवादी को वादी के दावे के खण्डन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। अतः वादी के दावा को पुनः सुनवाई पर लेने से प्रतिवादी को अपूर्णनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को न्यायहित में गुणवागुण पर निर्णित करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने से सहमत है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मूल

खींवणी बनाम हरिकेन
2022/441
निर्णय दिनांकः—07.03.2025

प्रार्थना—पत्र पर अदम पैरवी में खारिज करने की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लिया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.03.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:29 IST
Reason: SelfAttested